

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रांक / 2278 स0प्र0द0-त0निय0 / 2017-18

दिनांक 2.12.2017

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-397/6-पु0-15-2017 दिनांक 14 नवम्बर 2017 के क्रम में सिगरेट तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय, और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध/तम्बाकू उत्पादों को हतोत्साहित करने एवं अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल का गठन किया जाता है। प्रवर्तन दल का स्वरूप निम्नवत् है:-

जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल

क्रम सं०	पदनाम	समिति में पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
6	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	मुख्य खाद्य निरीक्षक	सदस्य

12

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर
तददिनांकित

पत्रांक / स0प्र0द0-त0निय0 / 2017-18

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ० प्र० लखनऊ।
- 3 पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 4 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 5 नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 6 जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 7 बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 8 मुख्य खाद्य निरीक्षक अम्बेडकरनगर।
- 9 यू०पी० टी० स्न० ए० - लखनऊ

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर